

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(लेण्ड रेकॉर्ड ऑफिसर), शिवगंज जिला सिरौही
पीठासीन अधिकारी श्री नीरज मिश्र, R.A.S

प्रार्थी
प्रभा शंकर पुत्र केराजी जाति रावल
निवासी नारादरा तहसील शिवगंज

बनाम

अप्रार्थी
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार
शिवगंज

विद्वान अधिवक्ता श्री प्रशान्त सोनी

राजस्व प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

रा. प्रार्थना पत्र संख्या 97/2025

—:आदेश:—


दिनांक 16.12.2025



प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि आराजी मौजा नारादरा, पटवार हल्का नारादरा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मांडानी, तहसील शिवगंज, के खाता संख्या 456 में वर्णित खसरा संख्या 752/381 कुल रकबा 3.5452 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 90 के खसरा संख्या 379, 754/381 कुल रकबा 0.1780 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी हक हकुको की कृषि आराजी में प्रार्थी का राजस्व रेकॉर्ड अनुसार हिस्सा नियत हैं जो कि प्रार्थी के कब्जे का है, जिस पर प्रार्थी बहैसियत खातेदार होने से उपयोग व उपभोग करते आ रहा हैं। तहसीलदार शिवगंज के आदेशानुसार पटवार हल्का नारादरा को उक्त वाद ग्रस्त कृषि आराजी को राजस्व रेकॉर्ड में केराजी के स्थान पर उनके वारिसान के नाम में दर्ज किया जाना था। उक्त वादग्रस्त कृषि आराजी को पटवार हल्का नारादरा द्वारा राजस्व रेकॉर्ड में केराजी के हिस्से की कृषि आराजी को उनके वारिसान के हक में दर्ज किया गया किन्तु प्रार्थी का नाम प्रभाशंकर पुत्र केराजी दर्ज नहीं करते हुए परबा पुत्र केसा कर दिया गया जो कि गलत हैं। उक्त वादग्रस्त कृषि आराजी में केवल प्रार्थी प्रभाशंकर पुत्र केराजी का नाम सही दर्ज नहीं होकर परबा पुत्र केसा दर्ज किया गया जबकि केराजी के परबा नाम का कोई वारिसान नहीं हैं तथा उनके अन्य वारिसान के नाम सही दर्ज किये गये हैं। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि उक्त वादग्रस्त भूमि में परबा पुत्र केसा के स्थान पर प्रभाशंकर पुत्र केराजी दर्ज कर राजस्व रेकॉर्ड शुद्ध करने की कृपा करावे।

प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार शिवगंज से जवाब चाहा गया। तहसीलदार शिवगंज के पत्र क्रमांक कोर्ट/2025/751 दिनांक 05.12.2025 के द्वारा रिपोर्ट भिजवायी गई जिसमें अवगत कराया है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा नारादरा के खसरा संख्या 379, 754/381, 752/381 में प्रार्थी का नाम परबा पुत्र केसा जाति रावल ब्राह्मण दर्ज हैं। ग्राम के मौजिज व्यक्तियों से पूछताछ करने एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों यथा आधार कार्ड, बैंक डायरी, पेन कार्ड में प्रार्थी का नाम प्रभाशंकर पुत्र केरा जी दर्ज है तथा इस नाम से ग्राम नारादरा में कोई अन्य व्यक्ति निवास नहीं करता हैं। अतः इसका नाम परबा पुत्र केसा की जगह प्रभाशंकर पुत्र केरा जी दर्ज किया जाना उचित हैं। प्रार्थी के नाम शुद्धी के समर्थन में प्रार्थी अधिवक्ता ने दिनांक 16.12.2025 को अन्य सह खातेदार प्रकाश कुमार पुत्र मोतीलाल निवासी नारादरा का शपथ पत्र पेश किया तथा इसी दिन इनके बयान लिये गये व प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र पर बहस की जिसे सुना गया।

हमने पत्रावली, संलग्न दस्तावेजों, बयान व तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तुत जवाब का गहनता से अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रार्थी प्रभाशंकर व परबा दोनो एक ही व्यक्ति है। जिनका वादग्रस्त जमाबंदी में अशुद्ध नाम दर्ज हो गया है जिसे न्यायहित में सुधारा जाना उचित समझते है।


उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरौही)


लगातार पेज-2


अतः प्रार्थनापत्र के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर मौजा नारादरा, पटवार हल्का नारादरा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मांडानी, तहसील शिवगंज, के खाता संख्या 456 में वर्णित खसरा संख्या 752/381 कुल रकबा 3.5452 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 90 के खसरा संख्या 379, 754/381 कुल रकबा 0.1780 हैक्टेयर भूमि में परबा पुत्र केसा के स्थान पर प्रभाशंकर पुत्र केराजी नाम दुरस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार शिवगंज तदनुसार पालना करें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 16.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।



क्रमांक:-कोर्ट/2025/ 687
प्रतिलिपि पालनार्थ:-
तहसीलदार शिवगंज ।


(नीरज मिश्र, R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी
लेण्ड रिकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज (सिरोही)
दिनांक 16-12-2025


लेण्ड रिकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)